संख्या– 30 / नि0अनु0 / 38–नि0वि0 / 2003

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग। देहरादूनः दिनांकः 16 फरवरी, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2003–04 में अनुपूरक मॉग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि से जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारियों को वाहन क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–119 / एस0एन0डी0 / 2003–04 दिनांक 05 मई 2003 पत्र संख्या–348 / एस0एन0डी0 / 2003–04 दिनांक 03 जुलाई, 2003 पत्र संख्या–104 / 3–ले0अ0ए0सं0 / 2003–04 दिनांक 20 जनवरी 2004 एवं शासन के पत्र संख्या–13 / 38–नि0अनु0 / 2003–04 दिनांक 22 जनवरी 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्या विभाग के अन्तर्गत जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारियों टिहरी, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल, एवं पिथौरागढ़ हेतु कुल 5 वाहनों को शासकीय कार्यो के सफल संचालन हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रोर्फामा इनवाइस के अनुसार क्रय किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में अनुपूरक मॉग में प्राविधानित धनराशि से बोलेरों इनवेडर 8 स्टार 4व्हील ड्राइव प्रति वाहन रू0 3,52,033.43 की दर से 5 वाहनों हेतु कुल रू0 17,60,167.15 (रूपये सत्तरह लाख साठ हजार एक सौ सड़सठ,पैंसे पन्द्रह मात्र) को सुगामांकित करते हुए की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन रखते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– वाहन क्रय करने के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे शासन को समर्पित की जायेगी।

2– स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स के नियमों एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। जहॉ–कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी का पूर्वानुमोदन आवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि जिस अधिकारी को वाहन अनुमन्य किया जा रहा है वह उसका उपयोग केवल कार्यालय के शासकीय कार्यो को सम्पादित करने के लिए ही किया जायेगा तथा किसी अन्य कार्यो के लिए वाहन का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा।

2

4– टिहरी जनपद के कार्यालय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार में आहरण तब ही किया जायेगा जब इस जनपद के वाहन के निष्प्रोज्यता की कार्यवाही पूर्ण कर, वाहन की नीलामी कर अर्जित राशि राजकोष में जमा कर दी जाये।

5– वाहन का कय डी0जी0एस0 एन्ड डी0 की दरों के अनुसार ही किया जायेगा। उक्त लागत में एसेसरीज हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नहीं है।

6– वाहन के कय में व्यापार कर हेतु अनुमन्य छूट का उपभोग करने हेतु फार्म–डी निष्पादित करके ही किया जायेगा।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण सांख्यिकी–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान–00–14– कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कार/गाड़ियों का कय के नामे डाला जायेगा।

8– यह वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के अशासकीय संख्या–2797/वि0अनु0–3/2003 दिनांक 10 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– 30 /नि0अनु0/38-नि0वि0/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

C:\Negi\38-saplimentry-03-04